Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ... मुकाम बयाना

गगन आदि ... बनाम ... भारत संघ

किस्त मुकदमा ... प्रार्थना पत्र ... नं. 198/22 ... सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
4/7/22	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिए रजि० डाक/साधारण नोटिस दिनांक 28/7/22 तलब कर प्रकरण को पेश हो। [illegible]	
28/7/22	पढ़ा हेड़ पीठासीन अधिकारी ... हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/8/22 को पेश हो [signature] रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	
16/8/22	डीजल आपूर्ति में व्यस्त पीठासीन अधिकारी ... हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/8/22 को पेश हो [signature] रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	
26/8/22	अन्य कार्य में पीठासीन अधिकारी ... हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/9/22 को पेश हो [signature] रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	
7/9/22	वकील अप्रा० जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहा है। प्रकरण दिनांक 23/9/22 को पेश हो [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
3/7/25	वकील प्रार्थी उपस्थित। कुल वादी 3 प्रति० का जवाब पेश किया गया [illegible] अप्रार्थीगण के भी अप्रार्थीगण का जवाब पेश किया जाता है। बहस अंतिम सुनवाई दि 25/7/25 को पेश हो।	
25/7/25	वकील उपस्थित। बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7/8/25 को पेश हो।	
7/8/25	प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.का. अधि. का पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं० 13 रकबा 0.27 हे० वादी/प्रार्थी 01, खसरा नं० 13/1265 रकबा 0.26 हे० प्रार्थी 2 व 3, खसरा नं० 14 रकबा 0.80 हेक्टेयर वादी/प्रार्थी संख्या 4 लगायत 7, खसरा नम्बर 15 रकबा 0.45 हे० के प्रार्थी 8 लगायत 26 के खातेदार काश्तकार, काबिज आसामी हैं। फसल काश्त कर अपने उपभोग-उपयोग में लेते आ रहे हैं। राजस्व रिकार्ड जमा० में वादी/प्रार्थी 3 व 8 लगायत 26 बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त खातेदारान में से गोरधन, धीरसिंह, मोड़ सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी 22, 23 गोरधन एवं वादी प्रार्थी 24 लगायत	

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] राज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	26 को सीमी के वारिस है। भीमसिंह लावल्द बिला औरत फौत हुआ है। प्रार्थी संख्या 21 मृतक भीम सिंह का भाई होने के कारण उसका हिस्सा विरासत प्रार्थी 21 को प्राप्त हुआ है।	
	खसरा नम्बर 18 रकबा 0.18 वाके ग्राम कामरी तह० बयाना के प्रार्थी 27 लगायत 34 खातेदार काश्तकार, काबिज आराजी है। सूरजमल का स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थी 31 लगायत 34 मृतक सूरजमल के वारिसान है। आ० ख०नं० 16/1272 रकबा 0.24 वाके ग्राम कामरी तह० बयाना प्रार्थी 35 लगायत 41 खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। प्रार्थी 35 लगायत 41 खातेदार रामसिंह के कानूनी वारिस है। आ० ख०नं० 18 रकबा 0.33, 19 रकबा 0.13 हे० ग्राम कामरी तह० बयाना के प्रार्थीगण 27 लगायत 34 खातेदार काश्तकार, काबिज आराजी है। भप्पू, रामजी लाल, सूरजमल का स्वर्गवास हो गया है। भप्पू, रामजीलाल बिला औलाद फौत हुए हैं। प्रार्थी 27 लगायत 34 उनके कानूनी वारिस हैं।	
	अप्रार्थीगण भारत संघ व रेलवे का उक्त विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त आराजी कभी भी रेलवे की नहीं रही एवं ना ही कभी अवाप्त ही हुई है। विवादित आराजी वादीगण/प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। अप्रार्थीगण के अधिकारी, कर्मचारी ने दिनांक 27/6/2022 को मौके पर आकर विवादित आराजी पर नींव खुदवाकर पुख्ता बाउंड्री, दीवार बनाकर, प्रार्थीगण की आराजी में खड़ी फसल को नष्ट कर, बेदखल करने की धमकी दी है। अप्रार्थीगण अपनी उक्त धमकी में सफल हो गए तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी	

उप खण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज

जिसकी प्राप्ति किसी प्रकार सम्भव नहीं होगी। अतः हो प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर अप्रार्थीगण को निषेधित आराजी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से भी अधिवक्ता-कौशिक 1250 में हाजिर होकर वकालतनामा पेश किया। बार-2 जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने बाबत मौका देने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया अतः दिनांक आदेशिका दिनांक 05/3/25 से जवाब अप्रार्थीगण का बन्द किया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण को सुना। [illegible] प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क किया है कि राज्य सरकार। वन विभाग के निर्देशानुसार नाप सर्वे। वन विभाग स्वयं की आराजी पर तारबंदी करने की कार्यवाही कर रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा यह झूठा प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। अपनी खातेदारी की आड़ में प्रार्थीगण राजकीय

उप खण्ड ... बयाना (भरतपुर) राज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के कामों को बाधित करवाना चाहते हैं और रेलवे की जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्तागणों को सुनने के उपरान्त, पत्रावली में उपलब्ध समस्त अभिलेख का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण यह सिद्ध नहीं कर सके कि अप्रार्थीगण द्वारा बाउण्ड्री वाल का निर्माण प्रार्थीगण की खातेदारी में किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्राइमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज होने योग्य है। **आदेश** अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 9/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर) राज